

प्रारूप-6

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर :

कार्यालय आदेश :

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता—हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी की आयु पूर्ण कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री भीखमचन्द्र सुथार संदर्भ व्यक्ति (व्या.—हिन्दी)	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं.स.— फलोदी	जोधपुर	09-12-61	31-12-21

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आज तक—

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक—06-7-2021

क्रमांक—शिविरा—मा/संस्था/सी—7/हिन्दी/10908/सेवानिवृत्ति/2020-21
प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1—निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर

2—संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

3—संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्या, मा.शि.

4—संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि सूची में उल्लेखित सेवा निवृत्ति होने वाले प्राध्यापक हिन्दी के प्रारूप-6 के आशय का शपथ—पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावें।

5—संबंधित कार्मिक—

6—अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।

7—निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर